FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated_30-10-2017-

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.410 hectares of forest land propose d to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of motor road "Karanpryag-Nauti-Kirsal motor road KM 34 to Kheti-Jakhet-Chorasain Motor road" in Chamoli district falls within jurisdiction "Kheti and Jakhet, in Adibadri tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.410 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Jakhet' sub- Division level Committee Adibadri and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural gommunities.

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

. जमोली

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights)

act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Asheesh Joshi, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 30.10.2017 at time Copeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 3.650 hect for the construction of motor road "Karanpryag-Nauti-Kirsal motor road KM 34 to Kheti-Jakhet-Chorasain Motor road" and forest land 1.410 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the

sub division level committee of Adibadri sub division were discussed to

consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 30-/0-2017

District Magistrate cum-Chairman District Level Committee

जिलाधिकारी

पारयाजना का नाम:-

राज्य दाजना वः अन्तरात जनपद चनाला क विचानसमा क्षत्र कणप्रयाग न कर्णप्रयाग-नौटी किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती जखेट चौरासैंण तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.050 हे0 वन पंचायत भूमि, सिविल वन भूमि-0.210 हे0 एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.150 कुल 1.410 है0 वन पंचायत भूमि / सिविल वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अनुस्चित जनजाति और परम्परायत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण स्तरीय समिति-गैरसैंण

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत-गधेरे से खेती-जखेट-चौरसैंण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन पंचायत भूमि 1050 हे0, सिविज वन भूमि 0.210 हे0 मक डिस्पोजन 0.150 हे0 अर्थात कुल 1.410 हे0 वन पंचाचत / सिविल भूमि का अरथाई खण्ड,लो०नि०वि०. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (दन ाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदिबद्री) की दिनांक 24/88/ 2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती स्मृता परमार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदरयों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

	Sussessing the same of the sam	
1-	श्रीमती स्मृता परमार उपजिलाधिकारी, गैरसैंण अध्यक्ष।	8
2	श्री	and it
	art in in	A COLON
3—	श्री संदीप चौधरी सहायक समाज कल्याण अधिकारी गैरसैंण सदस्य/सचिव	Kan .
-	क्षा गारिक होता है। है। है। है।	b.
4-	आ वाठडाठसाठ क्षत्र जिल्ला १५ र सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत-गधेरे से खेती-जखेट- चौरसैंण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.410 है0 वन पंचायत/सिविल भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।

ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मांगला लियत नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

रांबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी,केंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2003 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियन, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पद्म प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस संबंध में ग्रम/पंचायत द्वारा अनाप्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापित्त जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्डपरिक्षेत्र के अन्तर्गत कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत-गंधरे से खेती-जखेट- चौरसैंण मोटर मार्ग के निर्माण हेत् १.१५० है० वर प्रतायत ग्रुमि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त का क्यो।

जस्य क्षेत्र पंचायत घाडं सं0 14 मरोड़ा

२०० गैरसँण (चमोली) विठख**े गैररींग (चमोली)**


उप जिलाधिकाष्ट्र उपखण्ड स्तरीय क तहसील-आ जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी । अधिकाधिकार उपखण्ड रंतरीय वन अधिकार तहसील-आदिबदी/ गैरसँण जनपद-चमोली

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हम ग्राम निवासी ग्राम खेती, पत्रालय चौरासैंण राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र माथर, तहसील आदिबद्री, विकास खण्ड गैरसैंण, जनपद चमोली वाले आज दिनांक 08/04/2017 खेती व जखेट मोटर मार्ग निर्माण में पेड़ हमारे नाप—जमीन आयेगी उनकी कटान पर कोई आपत्ति नहीं है। सड़क निर्माण में काटे गये पेड़ों का उपयोग हम अपने लिए करेंगे जिस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।



अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हम ग्राम निवासी ग्राम जखेट, पत्रालय चौरासेंण राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र माथर, तहसील आदिबद्री, विकास खण्ड गैरसेंण, जनपद चमोली वाले आज दिनांक 08/04/2017 खेती व जखेट मोटर मार्ग निर्माण में पेड़ हमारे नाप—जमीन आयेगी उनकी कटान पर कोई आपत्ति नहीं है। सड़क निर्माण में काटे गये पेड़ों का उपयोग हम अपने लिए करेंगे जिस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।

समस्त ग्रामवासी हस्ताक्षर भागा है। Elling this - Sney (2) कला मासिंह Choly 5 - राम सिंह 23 क्रामिसिंट 7 - केलम् सिंह -25 जानकी देवी 8- भूवनश्वरी देवी-- अवन्यवरी 9- पुष्पा देवा 26. 2-10am Pere १७ - आशा देवा 27. STIDI ad 1248 भादी द्वी महिपाल सिंह-अरिपालियेष. शासा देवी 12 - गोर सिंह 2011 देवी कलमी देवी 32. गांगा सिंह लाल रिनंद 16 - सुनीता विद्य अशत सिंह 62101148 - स्था दे हिवाली